



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार—249404

संख्या: 96/72/02/डी0आर0(पशु0चि0)/सेवा-1/2021-22

दिनांक : 30 जुलाई, 2024

प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पशुपालन विभाग में पशुचिकित्साधिकारी (ग्रेड-2) परीक्षा— 2023 के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 68/72/02/डी0आर0 (पशु0चि0)/सेवा-1 /2021-22, दिनांक 26 जून, 2024 के द्वारा अनहृ अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों को अपनी अनहृता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन एवं वांछित अभिलेख सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया गया था। जिसके क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित वांछित अभिलेखों एवं प्रत्यावेदनों पर मात्र आयोग द्वारा विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त मात्र आयोग द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को निम्नवत् निस्तारित किया गया—

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम एवं अनुक्रमांक	निस्तारण आदेश
1.	POORNA CHANDRA PATWAL (अनुक्रमांक 200219)	अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थीगण को अर्ह घोषित किया गया है।
2.	BHANU PRAKASH (अनुक्रमांक 200343)	
3.	ANU (अनुक्रमांक 200215)	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदन के आधार पर अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से अर्ह किया गया है।
4.	PAYAL TIWARI (अनुक्रमांक 200249)	अभ्यर्थीगण को विज्ञापन के बिन्दु सं0 4(1)(क) एवं (ख) के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता B.V.Sc. & AH की उपाधि एवं उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकरण विज्ञापन अंतिम तिथि दिनांक 02.11.2023 तक धारित नहीं किये जाने के कारण प्रश्नगत पद हेतु अनहृ घोषित किया गया था।
5.	DIKSHA UPRETI (अनुक्रमांक 200363)	2. अभ्यर्थीगण निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करते हैं।
6.	SAIMA SALIM (अनुक्रमांक 200366)	3. अतः उक्त के आलोक में अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में किए गए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिए गए हैं।

-Sd/-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव